pany Law Board on patitioa *filed. is* the company under Section 17 of this Companies Act, 1956. It is leant that no such petitions have been received by the Board from any company In the Oswal Group. Sub Section (6) of section 17 lays down that the Company Lw Board shall, in exercising its powers under this section, have regard to the rights and interests of the members of the company and. of every class of them, as well as to the rights and interests of the creditors of the company and of every class of them.

महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा न दिया जाना

1839. **श्रीमती वीणा वर्मा :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सामान्यता: कोई हिस्सा नहीं मिलता है यद्यपि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में इस आशय के उपबंध विद्यमान हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि तलाक लेने पर पत्नी अधिकार स्वरूप अपने पति की संपत्ति से कुछ भी नहीं ले सकती ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार महिलाओं को उनके पति की संपत्ति में से हिस्सा दिला कर उनका सामाजिक दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (घ) जी हां महिलाएं साधारण- तथा पैतृक संपति में समान अंश नहीं पाती हैं । भिन्न-भिन्न व्यक्ति उस धर्म के अनुसार जिससे वे संबद्ध होते हैं, भिन्न-भिन्न स्वीय विधियों से शासित होते हैं । इस विषय पर विधि स्पष्ट है, अत: इस संबंध में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं कराया गया है । पत्नी को उस को लागू होने वाली स्वीय विधि के उपबन्धों के अनुसार भरणपोषण का अधिकार है । किंतु पति या पत्नी विवाह-विच्छेद पर अन्य पति या पत्नी की संपत्ति के किसी भाग पर अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है कि महिलाओं को उनके पतियों के जीवन काल के दौरान उनके पतियों की संपत्ति में अंश दिया जाए ।

आर्थिक स्थायित्व देकर स्त्रियों की सामाजिक प्रास्थिति में सुधार करने के लिए सरकार राज्य सरकारों को स्वीय विधियों में ऐसे संशोधन करने आदि की अनुज्ञा दे रही है जिससे कि पुत्रियों को सहदायिक अधिकार जैसे कुछ अधिकार प्रदान किए जा सकें । सरकार यह भी प्रयत्न कर रही है कि विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देकर यह उद्देश्य प्राप्त करने के के लिए जनमत को प्रोत्साहित किया जाए । पिछले सप्ताह पारसी महिलाओं की संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए संसद के दोनों सदनों ने भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) अधि- नियम, 1991 पारित किया है ।

Activities of Japanese commercial companies

1840. SHRIMTI SATYA BAHIN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many Japanese companies are engaged in trading activities in India, if so, What are the details thereof;

(b) what is the nature of trading activities in which these are engaged and whether these companies also have business contacts with the Indian